| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>कमला बनाम औंकारलाल व अन्य<br>किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92(अ) आरटए 1955<br>वाद प्रकरण संख्या 57 / 2006 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.01.2025 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थिति। अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कि जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। विस्तरित निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>सहायक कलक्टर (मु.)<br>अजमेर | |

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 63/2021

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्रीमती रतन कौर

उनवान

श्री कमला पुत्री स्व श्री भागीरथ जाति मेघवाल (भाम्बी), निवासी चाचियावास पत्नी स्व. श्री मदनलाल जाति मेघवाल हाल निवासी मेघवाल महौल्ला मस्जित के पास हटूण्डी तहसील व जिला अजमेर

वादीगण .....

बनाम

1. औकारलाल पुत्र स्व श्री भागीरथ
2. रामदेव पुत्र स्व श्री भागीरथ
3. लालाराम पुत्र स्व श्री भागीरथ समस्त निवासी चाचियावास
4. विमला पुत्री स्व श्री भागीरथ, पत्नी कैलाश निवासी चावण्डिया तहसील पुष्कर
5. गौरव बैरवा पुत्र बाबूलाल बैरवा निवासी आनासागर लिंक रोड अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रतिवादीगण.....

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित

1. श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक वादी
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक प्रतिवादी

आदेश

दिनांक :– 28/11/21

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92(ए) राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया की प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी/काशतकारी की आराजीयात ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित ह जिसकी आधार जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या नया 39 पुराना 30 खसरा संख्य 1550 रकबा 0.3500 किस्म बारानी–2, खसरा संख्य 1553 रकबा 0.3800 किस्म बारानी–2, खसरा संख्य 1855 रकबा 1.1500 किस्म चाही–3, खसरा संख्य 1855/2815 रकबा 0.0100 किस्म गै.मु.चाह, खसरा संख्य 1900 रकबा 0.1700 किस्म बारानी–3, खसरा संख्य 1905 रकबा 0.2000 किस्म बारानी–3, खसरा संख्य 1905/0.3200 रकबा 0.3500 किस्म बारानी–3, खसरा संख्य 1913 रकबा 0.2600 किस्म चाही–2 पारिवारिक सजरा अनुसार वादीया के माता–पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा एक भाई कुन्दन का नाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। इस प्रकार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ही उक्त मृतकगण के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होकर वादग्रस्त आराजीयात पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद पत्र के संलग्न वादग्रस्त आराजीयात की वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041, मिलान क्षेत्रफल एवं आधार जमाबंदी सम्वत 2071 लगायत 2074 से सिद्ध है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्व. श्री भागीरथ पुत्र श्री नानू जाति भांबी थे। जिनके स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में विधि अनुसार समस्त प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान के नाम विरासत तस्दीक होनी थी किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं वादीया एवं प्रतिवादीगण की माता स्व. श्रीमती तोफी देवी ने वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 को विरासत से वंचित रखकर केवल मात्र अपने नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 13.6.1995 को गलत अंकन करवा ली तथा उक्त गलत व अवैधानिक अंकन के पश्चात वादीया व प्रतिवादीगण की माता श्रीमती तोफी देवी पत्नि स्व. श्री भागीरथ जाति भांबी के स्वर्गवास होने पर केवल मात्र जीवित पुत्रों ने अपने नाम जरिये विरासती नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 15.8.2000 को बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने गलत व अवैध रूप से तस्दीक करवा लिया तथा उक्त गलत एवं अवैध अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 रामदेव पुत्र श्री भागीरथ ने वादग्रस्त आराजीयात में अपना 1/4 हिस्सा गलत व अवैध रूप से

Scanned with OKEN Scanner

अपने हिस्से से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2015 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर उक्त केता ने अपने पक्ष में राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 376 दिनांक 8.2.2016 को तस्दीक करवा लिया उक्त मद में वर्णित सम्पूर्ण अंकन वादीया के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादीया को वादग्रस्त आराजीयात पर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ सह खातेदार, सह काश्तकार घोषित करवाने हेतु उक्त वाद पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु वादीया के स्व. पिता भागीरथ पुत्र नानू एवं माता श्रीमती तोफी देवी पत्नि स्व. श्री भागीरथ जाति भांबी के स्वर्गवास पर वादीया का नाम वादग्रस्त आराजीयात में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान के आधार पर विरासत में संयोजित कर विरासत तस्दीक करवानी थी किन्तु प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 को विरासत से वंचित कर केवल मात्र अपने नाम अवैधानिक रूप से विरासत तस्दीक करवाकर वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त आराजीयात जो कि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें अवैधानिक रूप से प्रवेश करने तथा संयुक्त कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मदाखल उत्पन्न करने पर सख्त आमादा हो रहा है। जिसमें यदि वे सफल हो गये तो वादीया अपने पिता से विरासत में प्राप्त पुश्तैनी आराजीयात से महरूम हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण इनके मुख्तयारआम, नौकर, चाकर, मित्र, हितैषी इत्यादी को वादग्रस्त आराजी में जबरन प्रवेश करने व अवैधानिक रूप से प्रवेश कर वादग्रस्त आराजीयात खुर्द बुर्द कर, अन्यत्र बेचान करने इत्यादि से जिसके आधार पर उक्त केता ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 376 दिनांक 8.2.2016 को तस्दीक करवा लिया उक्त मद में वर्णित सम्पूर्ण अंकन वादीया के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादीया को वादग्रस्त आराजीयात पर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के साथ सह खातेदार, सह काश्तकार घोषित करवाने हेतु उक्त वाद पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीया व प्रतिवादीगण संख्या । लगायत 4 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु वादीया के स्व. पिता भागीरथ पुत्र नानू एवं माता श्रीमती तोफी देवी पत्नि स्व. श्री भागीरथ जाति भांबी के स्वर्गवास पर वादीया का नाम वादग्रस्त आराजीयात में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान के आधार पर विरासत में संयोजित कर विरासत तस्दीक करवानी थी किन्तु प्रतिवादीगण । लगायत 3 ने वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 को विरासत से वंचित कर केवल मात्र अपने नाम अवैधानिक रूप से विरासत तस्दीक करवाकर वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त आराजीयात जो कि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या । लगायत 4 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें अवैधानिक रूप से प्रवेश करने तथा संयुक्त कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मदाखल उत्पन्न करने पर सख्त आमादा हो रहा है। जिसमें यदि वे सफल हो गये तो वादीया अपने पिता से विरासत में प्राप्त पुश्तैनी आराजीयात से महरूम हो जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण इनके मुख्तयारआम, नौकर, चाकर, मित्र, हितैषी इत्यादी को वादग्रस्त आराजी में जबरन प्रवेश करने व अवैधानिक रूप से प्रवेश कर वादग्रस्त आराजीयात खुर्द बुर्द कर, अन्यत्र बेचान करने इत्यादि से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने हेतु उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र के पैरा संख्या में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में वादीया को वाद कारण सर्वप्रथम अपने माता-पिता के स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में विरासत से वंचित कर प्रतिवादीगण संख्या लगायत 3 ने अपने नाम अवैधानिक रूप से विरासत तस्दीक करवाने पर तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 रामदेव पुत्र भागीरथ ने वादग्रस्त आराजीयात में से अपने हिस्से से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2015 को विक्रय करने पर तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 ने राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 376 दिनांक 08.02.2016 को अवैधानिक रूप से अंकन करवाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 ने वादग्रस्त आराजीयात पर दिनांक 09.03.2016 को मौके पर

Scanned with OKEN Scanner

वादीया को वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में ऐलानिया धमकी देने से उत्पन्न होकर दिनांक लगातार जारी है। वादीया ने उक्त वाद पत्र उदघोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार है, जो उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय द्वारा वादीया के पक्ष में निर्णय व डिक्री जारी फरमाने पर वादीया का नाम बहैसियत खातेदार/काश्तकार अंकन कर प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रसारित स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति से प्रतिवादीगण को पांबद करवाकर माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्ति करेगें अतः उन्हें प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अन्य कोई दादरसी उनके विरूद्ध नहीं चाही गयी है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर में स्थित होकर वाद पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। (अ) यह कि वाद पत्र के पैरा संख्या में वर्णित आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या । लगायत 3 द्वारा गलत व अवैधानिक रूप से करवाये गये अंकन एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को किया गया विक्रय पत्र एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर करवाये गये अंकन वादीया के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादीया को वादग्रस्त आराजीयात पर 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के साथ सहखातेदार, सहकाश्तकार उदघोषित किया जावे। उक्त अहकाम की उदघोषणात्मक आज्ञप्ति बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे। (ब) यह कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण, वादीया को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। जबकि वादीया वादग्रस्त आराजीयात की सहखातेदार, सहकाश्तकार है इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अजनबी केता है, जो विधिपूर्ण प्रक्रिया की अनुपालना करवाये बगैर वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करने तथा प्रवेश कर अवैध कृत्य कर भूमि में प्रवेश नही कर सकता इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 5 अवैधानिक रूप से वादीया को ऐलानिया धमकी देकर प्रवेश करने पर सख्त आमादा हो रहा है जिसमे यदि वह सफल हो गया तो वादीया को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी तथा वादीया को वादबाहुल्यता काअनावश्यक रूप से सामाना करना पडेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण इनके मु०आम, नौकर, चाकर, मित्र, हितैषी इत्यादी को वादीया की खातेदार काश्तकारी की आराजियात मे मदाखलत व दखलदांजी उत्पन्न करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। उक्त अहकाम की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे। (स) यह कि अन्य दादरसी जो श्रीमान उचित समझें धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीया को प्रदान करावें का निवेदन किया गया।

वादी का वाद दर्ज रजिर्स्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 05 कि द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज करवाकर निवेदन है कि उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें पेशी दिनांक 27/6/23 नियत है। वादीया द्वारा वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है। वादीया ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में कथन करते हुए कि कुन्दन नाऔलाद फौत हो चुका है वाद प्रस्तुत किया जबकि कुन्दन पुत्र भागीरथ के स्वर्गवास के पश्चात् उसकी पत्नी गीतादेवी एवं पुत्री मंजू देवी विधिक वारिसान हैं। इसकी जानकारी वादीया को प्रारम्भ से ही थी बावजूद इसके वादीया ने तथ्य छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया है जो आवश्यक पक्षकारों के अभाव में काबिल निरस्तनीय है। यहां यह अंकित करना उचित एवं पर्याप्त होगा कि कुन्दन पुत्र भागीरथ की पुन्नी मंजू देवी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 123/2007 बउनवानी "मंजू बनाम् औंकारलाल" प्रस्तुत कर रखा था जिसमें वादीया ने वाद पत्र में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम' 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर स्वयं को वाद पत्रमें प्रतिवादी मुर्तिब करवाया एवं वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा होने का अनुतोष चाहा। इस प्रकार वादिया ने सभी तथ्यों एव कुन्दन के वारिसानों की जानकारी होने के बावजूद अपूर्ण पक्षकारों को वाद पत्र में संयोजित कर वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को इसी स्तर पर निरस्त फरमाये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जिसकी प्रति वादी अभिभाषक ने दिनांक 27.07.2023 को प्राप्त की। वादी अभिभाषक ने आदिनाक तक उक्त आपत्ति को कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया। जिस पर प्रतिवादी ने बहस करने का निवेदन करने पर दोनो अभिभाषको की बहस सुनी गई।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अभिभाषक ने अवगत की कुन्दन पुत्र भागीरथ की पुत्री मंजू देवी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो वाद 123/2007 बउनवानी "मंजू बनाम औकार लाला प्रस्तुत कर रखा था जिसमें वादीया ने वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी. पी.सी प्रस्तुत कर स्वयं को वाद पत्र में प्रतिवादी मुर्तिब करवाया एवं वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा होने का अनुतोष चाहा। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादिया को कुन्दल पुत्र भागीरथ के वारिसों के संबंध में ज्ञात था, फिर भी तथ्यों को छूपाकर वाद प्रस्तुत किया। तथ्यों का अवलोकन जिससे यह भी स्पष्ट है कि कुन्दन पुत्र भागीरथ नाऔलाद फोत नही हुआ है। वाद में वादी द्वारा जानबुझ कर सह खातेदार को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सिद्व करने हेतु कोई बयान अथवा दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाये है की श्री कुन्दन पुत्र भागीरथ नाऔलाद फोत हुआ। अतः वादी द्वारा तथ्यों को छूपाकर वाद प्रस्तुत करने के कारण वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 28/1/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर की गई ।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मु.)
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner